बेनामी संम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

बेनामी संव्यवहारों का प्रतिषेध]

3. बेनामी संव्यवहारों का प्रतिषेध ।

4. बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध ।

5. बेनामी धारित संपत्ति का अधिहरण के दायित्वाधीन होना ।

6. बेनामीदार द्वारा संपत्ति के पुनः अंतरण पर प्रतिषेध ।

अध्याय 3

प्राधिकरण

7. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ।

8. [लोपित ।]

9. [लोपित ।]

10. [लोपित ।]

11. [लोपित ।]

12. [लोपित ।]

13. [लोपित ।]

14. [लोपित ।]

15. [लोपित ।]

16. [लोपित ।]

17. [लोपित ।]

18. प्राधिकारी और अधिकारिता ।

19. प्राधिकारियों की शक्तियां ।

20. कतिपय अधिकारियों द्वारा जांच में सहायता किया जाना ।

21. जानकारी मांगने की शक्ति ।

22. प्राधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति ।

23. प्राधिकरण की जांच, आदि करने की शक्ति ।

अध्याय 4

कुर्की, न्यायनिर्णयन और अधिहरण

24. बेनामी संव्यवहार में अंतर्वलित संपत्ति की सूचना और कुर्की ।

धाराएं

25. सूचना की तामील की रीति ।

26. बेनामी संपत्ति का न्यायनिर्णयन ।

27. बेनामी संपत्ति का अधिहरण और निहित किया जाना ।

28. अधिहृत संपत्तियों का प्रबंध ।

29. संपत्ति का कब्जा ।

अध्याय 5

अपील अधिकरण

30. अपील अधिकरण की स्थापना ।

31. अपील अधिकरण की संरचना, आदि ।

32. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

33. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

34. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

35. कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष और सदस्य का हटाया जाना ।

36. अपील अधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।

37. त्यागपत्र और हटाया जाना ।

38. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना ।

39. अपील अधिकरण के कर्मचारिवृंद ।

40. अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

41. अपील अधिकरण की न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण ।

42. मामलों को अंतरित करने की अपील अधिकरण के अध्यक्ष की शक्ति ।

43. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना ।

44. सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना ।

45. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

46. अपील अधिकरण को अपीलें ।

47. गलतियों का सुधार ।

48. प्रतिनिधित्व का अधिकार ।

49. उच्च न्यायालय को अपील ।

अध्याय 6

विशेष न्यायालय

50. विशेष न्यायालय ।

51. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होना ।

52. अपील और पुनरीक्षण ।

अध्याय 7

अपराध और अभियोजन

53. बेनामी संव्यवहार के लिए शास्ति ।

54. मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति ।

धाराएं

54क. सूचना की अनुपालना या इत्तिला देने में असफलता ।

54ख. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत ।

55. पूर्व मंजूरी ।

55क. अभियोजन में उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

56. कुछ अधिनियमों के उपबंधों का निरसन ।

57. कतिपय अंतरणों का अकृत और शून्य होना ।

58. छूट ।

59. केन्द्रीय सरकार की निदेश, आदि जारी करने की शक्ति ।

60. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना ।

61. अपराधों का असंज्ञेय होना ।

62. कंपनियों द्वारा अपराध ।

63. सूचना, आदि का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य न होना ।

64. सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

65. लंबित मामलों का अंतरण ।

66. विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाहियां, आदि ।

67. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

68. नियम बनाने की शक्ति ।

69. नियमों और अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

70. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

71. संक्रमणकालीन उपबंध ।

72. निरसन और व्यावृत्ति ।

---

[1][बेनामी संम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध] अधिनियम, 1988

(1988 का अधिनियम संख्यांक 45)

[**5 सितंबर, 1988**]

बेनामी संव्यवहारों और बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

[2][**अध्याय 1**

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ—[1][(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बेनामी संम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 है ।]

(2) इसका विस्तार [3]*** संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5 और धारा 8 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और शेष उपबंध 19 मई, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

[4][**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से धारा 7 [5][में निर्दिष्ट] न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) "प्रशासक" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (25) में यथापरिभाषित आय-कर अधिकारी अभिप्रेत है ;

(3) "अपील अधिकरण" से धारा 30 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(4) "अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के क्रमशः खंड (1ग) और खंड (28ग) में यथापरिभाषित अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त अभिप्रेत है ;

(5) "कुर्की" से इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा संपत्ति के अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन या संचलन का प्रतिषेध अभिप्रेत है ;

(6) "प्राधिकारी" से धारा 18 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(7) "बैंककारी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबंध लागू होते हैं और इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है ;

(8) "बेनामी संपत्ति" से ऐसी कोई संपत्ति अभिप्रेत है, जो किसी बेनामी संव्यवहार की विषयवस्तु है और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति के आगम भी हैं ;

(9) "बेनामी संव्यवहार" से,—

(अ) कोई ऐसा संव्यवहार या ठहराव अभिप्रेत है,—

(क) जहां किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जाता है या वह उसके द्वारा धारित की जाती है और उस संपत्ति के लिए प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया है या संदत्त किया गया है ; और

(ख) जहां संपत्ति को, उस व्यक्ति के, जिसने प्रतिफल उपलब्ध कराया है, तुरन्त या भावी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए धारण किया जाता है,

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 3 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 4 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।

[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 154 द्वारा (तारीख 1-7-2021 से) प्रतिस्थापित ।

सिवाय तब के जब संपत्ति को निम्नलिखित द्वारा धारित किया जाता है,—

(i) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के, यथास्थिति, कर्ता या किसी सदस्य द्वारा, और उस संपत्ति को उसके फायदे के लिए या कुटुंब में के अन्य सदस्यों के फायदे के लिए धारित किया जाता है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल हिन्दू अविभक्त कुटुंब के ज्ञात स्रोतों से उपलब्ध कराया गया है या संदत्त किया गया है;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए वैश्वासिक हैसियत रखता है, उस व्यक्ति के लिए जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत रखता है, धारित किया जाता है और इसके अंतर्गत न्यासी, निष्पादक, भागीदार, कंपनी का कोई निदेशक, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के अधीन कोई निक्षेपागार या किसी निक्षेपागार के अभिकर्ता के रूप में कोई सहभागी और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(iii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो व्यष्टि है, अपनी पत्नी या अपने पति के नाम में या ऐसे व्यष्टि की किसी संतान के नाम में धारित किया जाता है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल व्यष्टि की आय के ज्ञात स्रोतों से उपलब्ध कराया गया है या संदत्त किया गया है ;

(iv) ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने भाई या बहन या पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज के नाम में, जहां भाई या बहन या पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज के तथा व्यष्टि के नाम किसी दस्तावेज में संयुक्त स्वामी के रूप में हैं, धारित किया जाता है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल व्यष्टि की आय के ज्ञात स्रोतों से उपलब्ध कराया गया है या संदत्त किया गया है ; या

(आ) किसी संपत्ति के संबंध में किसी कल्पित नाम से किया गया कोई संव्यवहार या ठहराव अभिप्रेत है; या

(इ) किसी संपत्ति के संबंध में, जहां संपत्ति के स्वामी को ऐसे स्वामित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है या वह ऐसे स्वामित्व की जानकारी होने से इंकार करता है, संव्यवहार या ठहराव अभिप्रेत है; या

(ई) ऐसे किसी संपत्ति के संबंध में, जहां प्रतिफल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का पता नहीं लग सकता है या वह कल्पित व्यक्ति है, कोई संव्यवहार या ठहराव अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि बेनामी संव्यवहार में ऐसा कोई संव्यवहार सम्मिलित नहीं होगा, जिसमें संम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क में निर्दिष्ट संविदा के भागिक पालन में लिया जाने वाला या प्रतिधारित किया जाने वाला किसी संपत्ति के कब्जे का अनुज्ञात किया जाना अंतर्वलित है, यदि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन,—

(i) ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसके लिए संपत्ति का कब्जा अनुज्ञात किया गया है किन्तु ऐसे व्यक्ति ने, जिसे उसका कब्जा दिया गया है, ऐसी संपत्ति का स्वामित्व धारण करना जारी रखा है;

(ii) ऐसे संव्यवहार या ठहराव पर स्टाम्प शुल्क कर का संदाय कर दिया गया है; और

(iii) संविदा रजिस्ट्रीकृत की गई है;

(10) "बेनामीदार" से, यथास्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई कल्पित व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में बेनामी संपत्ति अंतरित या धारित की जाती है और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जो अपना नाम देता है;

(11) "न्यायपीठ" से, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी की कोई न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(12) "हिताधिकारी स्वामी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे उसकी पहचान ज्ञात हो या नहीं, जिसके फायदे के लिए किसी बेनामीदार द्वारा बेनामी संपत्ति धारित की जाती है;

(13) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है;

(14) "निदेशक" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (34) में उसका है;

(15) "निष्पादक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है;

(16) किसी संपत्ति के संबंध में, "उचित बाजार मूल्य" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) वह कीमत, जिस पर संपत्ति संव्यवहार की तारीख को खुले बाजार में विक्रय करने पर सामान्य रूप से बिकती है; और

(ii) जहां उपखंड (i) में निर्दिष्ट कीमत अभिनिश्चय नहीं है, वहां वह कीमत, जो ऐसी रीति, जो विहित की जाए, के अनुसार अवधारित की जाए;

(17) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में उसका है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में यथापरिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी भी आएगी;

(18) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है,—

(i) वह उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यथित पक्षकार मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है; [1]***

(ii) जहां सरकार व्यथित पक्षकार है, वहां वह उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्यर्थी या जहां एक से अधिक प्रत्यर्थी है, वहां प्रत्यर्थियों में से कोई एक प्रत्यर्थी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है; [2][और]

[3][(iii) वह उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रारंभक अधिकारी का कार्यालय अवस्थित है, —

(क) जहां व्यक्ति पक्षकार किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है;

(ख) जहां सरकार एक व्यथित पक्षकार है और प्रत्यर्थियों में से कोई भी प्रत्यर्थी किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है;]

(19) "प्रारंभक अधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के क्रमश: खंड (9क) में और खंड (19क) में यथापरिभाषित सहायक आयुक्त या उपायुक्त अभिप्रेत है;

(20) "सदस्य" से, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अभिप्रेत है;

(21) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(22) "भागीदार" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उसका है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अवयस्क होते हुए भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में यथापरिभाषित किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार;

(23) "भागीदारी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में उसका है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी भी है;

(24) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई फर्म;

(v) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं;

(vi) ऐसा प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपखंड (i) से उपखंड (v) के अंतर्गत नहीं आता हैं;

(25) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

---

[1] 2023 के अधिनियम सं० 8 की धारा 171 द्वारा (तारीख 1-4-2023 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।

[2] 2023 के अधिनियम सं० 8 की धारा 171 द्वारा (तारीख 1-4-2023 से) "और" शब्द अंत:स्थापित ।

[3] 2023 के अधिनियम सं० 8 की धारा 171 द्वारा (तारीख 1-4-2023 से) "खण्ड (iii)" अंत:स्थापित ।

(26) "संपत्ति" से किसी भी प्रकार की आस्तियां अभिप्रेत हैं, चाहे जंगम हों या स्थावर, मूर्त हों या अमूर्त और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार या हित अथवा उस संपत्ति में हक या हित के साक्ष्यस्वरूप विधिक दस्तावेज या लिखतें भी हैं तथा जहां संपत्ति किसी अन्य रूप में संपरिवर्तन योग्य है, वहां ऐसे संपरिवर्तित रूप में संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति के आगम भी हैं ;

(27) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में उसका है ;

(28) "विशेष न्यायालय" से धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है ;

(29) "अंतरण" के अंतर्गत अधिकार, हक, कब्जे या धारणाधिकार का विक्रय, क्रय या किसी अन्य रूप में अंतरण है ;

(30) "न्यासी" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यासी अभिप्रेत है ;

(31) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके हैं ।]

[1][अध्याय 2

बेनामी संव्यवहारों का प्रतिषेध]

3. बेनामी संव्यवहारों का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति कोई बेनामी संव्यवहार नहीं करेगा ।

[2]* * * * * * *

[3][(2) जो कोई बेनामी संव्यवहार करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[4][(3) जो कोई बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् कोई बेनामी संव्यवहार करता है उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्याय 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा ।]

[5]* * * * * * *

4. बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध—(1) बेनामी धारित किसी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए कोई वाद, दावा या कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है, या उसकी ओर से, किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

(2) बेनामी धारित संपत्ति के वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम संपत्ति धारित हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी वाद, दावे या कार्रवाई में बेनामी धारित किसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार पर आधारित कोई प्रतिरक्षा अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

[6]* * * * * * *

[7][5. बेनामी धारित संपत्ति का अधिहरण के दायित्वाधीन होना—ऐसी कोई संपत्ति, जो किसी बेनामी संव्यवहार की विषयवस्तु है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगी ।

6. बेनामीदार द्वारा संपत्ति के पुनः अंतरण पर प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति, जो बेनामीदार है, उसके द्वारा धारित बेनामी संपत्ति का, हिताधिकारी स्वामी को या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को, पुनः अंतरण नहीं करेगा ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 5 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 6 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) लोप किया गया ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) पुन:संख्यांकित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) लोप किया गया ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 8 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) लोप किया गया ।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 8 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) प्रतिस्थापित ।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संपत्ति पुनः अंतरित की जाती है, वहां ऐसी संपत्ति का संव्यवहार अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की उपधारा 190 के उपबंधों के अनुसार किए गए किसी अंतरण को लागू नहीं होंगे ।]

[1][**अध्याय 3**

प्राधिकरण

[2][**7. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण**—तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी होगा ।]

8. [प्राधिकरण की संरचना]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

9. [अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

10. [न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की न्यायपीठों का गठन]— 2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

11. [न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति]— 2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

12. [**न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि]**—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

13. [न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

14. [न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

15. [कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

16. [रिक्तियों, आदि से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

17. [न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी]—2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 156 द्वारा (1-7-2021 से) लोप किया गया ।

18. प्राधिकारी और अधिकारिता—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रारंभक अधिकारी;

(ख) अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी ;

(ग) प्रशासक; और

(घ) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ।

(2) प्राधिकारी ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम या ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, उन्हें, यथास्थिति, प्रदत्त या समनुदिष्ट किए जाएं ।

19. प्राधिकारियों की शक्तियां—(1) प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत किसी बैंककारी कंपनी या लोक वित्तीय संस्था या किसी अन्य मध्यवर्ती या रिपोर्ट करने वाली इकाई का कोई पदधारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 9 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2021 के अधिनियम सं०13 की धारा 155 द्वारा (तारीख 1-7-2021 से) प्रतिस्थापित।

(ग) लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करना ;

(घ) कमीशन निकालना ;

(ङ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्हें इस प्रकार उपधारा (1) के अधीन समन किया गया है, व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, उसी प्रकार उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे जैसे कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन निदेश दे और ऐसे किसी विषय पर, जिसके संबंध में उनकी परीक्षा की जाती है या वे कथन करते हैं, सत्य कथन करने तथा ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए आबद्धकर होंगे, जिनकी अपेक्षा की जाए ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के या दोनों के किसी अधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा या निदेश का पालन करे ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रिपोर्टकर्ता इकाई" से कोई मध्यवर्ती या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, "मध्यवर्ती" का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में उसका है ।

20. कतिपय अधिकारियों द्वारा जांच में सहायता किया जाना—निम्नलिखित अधिकारी इस अधिनियम के प्रवर्तन में प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करेंगे, अर्थात् :—

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आय-कर प्राधिकारी ;

(ख) सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विभागों के अधिकारी ;

(ग) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी ;

(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अधिकारी ;

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी ;

(च) पुलिस ;

(छ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी ;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधिकारी ;

(झ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य निगमित निकाय के अधिकारी ;

(ञ) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों या बैंककारी कंपनियों के उतने अन्य अधिकारी जितने केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

21. जानकारी मांगने की शक्ति—(1) प्रारंभक अधिकारी या अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी अधिकारी या ऐसे किसी व्यक्ति या अधिकारी से, जो लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को, जिनमें किसी संपत्ति से संबंधित किसी संव्यवहार का अभिलेख हो, रजिस्टर करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी व्यक्ति, प्रश्न और विषय के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की, जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी, अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

22. प्राधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं और प्राधिकारी के पास इस निमित्त यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी किन्हीं लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लिए परिबद्ध और प्रतिधारित करना अपेक्षित है, तो वह लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को, ऐसी अवधि के लिए परिबद्ध और प्रतिधारित कर सकेगा, जो धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किए गए कुर्की के आदेश की तारीख से, तीन मास से अधिक की नहीं होगी :

परंतु लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों के प्रतिधारण की अवधि को धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किए गए कुर्की के आदेश की तारीख से तीन मास से अधिक की अवधि के परे भी, जहां प्राधिकारी उसके बढ़ाए जाने के कारणों को लेखबद्ध करता है, बढ़ाया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को परिबद्ध करने और प्रतिधारित करने वाला प्राधिकारी प्रारंभक अधिकारी है तो वह परिबद्ध किए जाने के प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा और प्रारंभिक प्रतिधारण की अवधि बढ़ाए जाने के लिए, यदि ऐसा अपेक्षित हो, प्रारंभिक प्रतिधारण की अवधि के अवसान के पूर्व, अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी का और अनुमोदन अभिप्राप्त करने की ईप्सा करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों के प्रतिधारण की अवधि किसी भी दशा में इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के समाप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(4) वह व्यक्ति, जिससे लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज उपधारा (1) के अधीन परिबद्ध किए गए थे, उसकी प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार होगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज परिबद्ध किए गए थे, जब तक अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों को किसी अन्य व्यक्ति को दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देता है, लौटा दिया जाएगा ।

23. प्राधिकरण की जांच, आदि करने की शक्ति—प्रारंभक अधिकारी को, अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्तियों, दस्तावेजों, लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों की किन्हीं सुसंगत विषयों की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने या कराए जाने की शक्ति होगी ।

[1][**स्पष्टीकरण**—यहां शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी और कभी भी लागू हुई नहीं समझी जाएगी जहां किसी प्रारंभिक अधिकरी द्वारा धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है ।]

अध्याय 4

कुर्की, न्यायनिर्णयन और अधिहरण

24. बेनामी संव्यवहार में अंतर्वलित संपत्ति की सूचना और कुर्की—(1) जहां प्रारंभक अधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में बेनामीदार है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की कि उस संपत्ति को बेनामी संपत्ति क्यों नहीं माना जाना चाहिए, एक सूचना जारी कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना में किसी संपत्ति को उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी बेनामीदार द्वारा धारित की हुई संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, वहां सूचना की एक प्रति हिताधिकारी स्वामी को भी, यदि उसकी पहचान ज्ञात है, जारी की जाएगी ।

[2][(2क) बेनामीदार, जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है, या हिताधिकारी स्वामी जिसे उपधारा (2) के अधीन जारी ऐसी सूचना की प्रति जारी की गई है, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो प्रारंभक अधिकारी द्वारा विस्तारित की जाए, ऐसी अवधि जो उस मास के अंत से तीन मास से अनधिक ऐसी जिसमें उक्त सूचना जारी की गई है के भीतर स्पष्टीकरण या निवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां प्रारंभक अधिकारी की यह राय है कि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में बेनामी धारित संपत्ति है, सूचनामें विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उस संपत्ति का अन्य संक्रामण कर सकता है, वहां वह अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी संपत्ति को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, [3][उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की जाती है] [4][चार मास] से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 173 द्वारा (1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2024 के अधिनियम सं० 15 की धारा 158 द्वारा (1-10-2024 से) "उपधारा (2क)" अंत:स्थापित ।

[3] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 174 द्वारा (1-9-2019 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 2024 के अधिनियम सं० 15 की धारा 158 द्वारा (1-10-2024 से) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) प्रारंभक अधिकारी, ऐसी जांच करने और ऐसी रिपोर्टों या साक्ष्य को, जो वह ठीक समझे, मंगाने और सभी सुसगत सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात्, [2][उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की जाती है] [1][चार मास] की अवधि के भीतर,—

(क) जहां अनंतिम कुर्की उपधारा (3) के अधन की गई है, वहां—

(i) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, संपत्ति की अनंतिम कुर्की को बनाए रखने का आदेश पारित करेगा; या

(ii) अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से संपत्ति की अनंतिम कुर्की को प्रतिसंह्यत करेगा;

(ख) जहां अनंतिम कुर्की उपधारा (3) के अधीन नहीं की गई है,—

(i) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने संबंधी आदेश पारित करेगा; या

(ii) अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट संपत्ति को कुर्क न करने का विनिश्चय करेगा ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा अवधि की संगणना में यह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाही रोक दी जाती है, छोड़ दी जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् प्रारंभक अधिकारी के पास कुर्की का आदेश पारित करने के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि तीन दिन से कम है, वहां ऐसे शेष अवधि को तीस दिन तक बढ़ा हुआ समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् प्रारम्भक अधिकारी के पास न्यायनिर्णयक प्राधिकारी का कुर्की का आदेश निर्दिष्ट करने के लिए उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को सात दिन तब बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।]

(5) जहां प्रारंभक अधिकारी उपधारा (4) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की को बनाए रखने का कोई आदेश पारित करता है या उस उपधारा के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने का कोई आदेश पारित करता है, वहां वह [3][उस मास, जिसमें उक्त आदेश पारित किया गया है, की समाप्ति से "एक मास"] के भीतर, मामले का विवरण तैयार करेगा और उसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा ।

25. सूचना की तामील की रीति—(1) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की उसमें नामित व्यक्ति पर तामील या तो डाक द्वारा या उस रूप में की जा सकेगी मानो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई समन हो ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सूचना निम्नलिखित को संबोधित की जा सकेगी,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसे व्यष्टि को ;

(ii) किसी फर्म की दशा में, फर्म के प्रबंध भागीदार या प्रबंधक को ;

(iii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, ऐसे कुटुंब के कर्ता या किसी सदस्य को ;

(iv) किसी कंपनी की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी को ;

(v) व्यष्टियों के किसी अन्य संगम या निकाय की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी या किसी सदस्य को ;

(vi) किसी अन्य व्यक्ति (जो व्यष्टि नहीं है) की दशा में, ऐसे व्यक्ति को, जो उसके कार्यकलापों का प्रबंध करता है या उन पर नियंत्रण रखता है ।

26. बेनामी संपत्ति का न्यायनिर्णयन—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन किसी निर्देश की प्राप्ति पर, निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचनाएं, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को, ऐसे दस्तावेज, विशिष्टियां या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, जो आवश्यक समझा जाए, जारी करेगा, अर्थात् :—

(क) उसमें बेनामीदार के रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ;

(ख) उसमें हिताधिकारी स्वामी के रूप में निर्दिष्ट या उस रूप में पहचान किया गया कोई व्यक्ति ;

---

[1] 2024 के अधिनियम सं० 15 की धारा 158 द्वारा (1-10-2024 से) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 174 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2024 के अधिनियम सं० 15 की धारा 158 द्वारा (1-10-2024 से) "ऐसी कुर्की की तारीख से पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) कोई हितबद्ध पक्षकार, जिसके अंतर्गत कोई बैंककारी कंपनी भी है ;

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने संपत्ति की बाबत कोई दावा किया है :

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसी सूचना उस तारीख से, जिसको कोई निर्देश प्राप्त किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर जारी करेगा :

परंतु यह और कि उस सूचना में उस व्यक्ति को, जिसको ऐसी सूचना ईप्सित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है, कम से कम तीस दिन की अवधि दी जाएगी ।

(2) जहां ऐसी संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाती है, वहां ऐसी सूचना की उन सभी व्यक्तियों पर तामील किए जाने के सभी प्रयास किए जाएंगे, जो ऐसी संपत्ति को धारित किए हुए हैं :

परंतु जहां सूचना की तामील उन व्यक्तियों में से किसी एक पर की जाती है, वहां वह सूचना की तामील इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि उक्त सूचना की तामील ऐसी संपत्ति को धारण करने वाले सभी व्यक्तियों पर नहीं की गई है ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,—

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ;

(ख) ऐसी जांच करने या करवाने और ऐसी रिपोर्टें या साक्ष्य, जो वह उचित समझे, मंगाने के पश्चात् ; और

(ग) सभी सुसंगत सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात्,

उसमें बेनामीदार के रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, प्रारंभक अधिकारी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसी संपत्ति का स्वामी होने का दावा करता है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और तत्पश्चात्,—

(i) संपत्ति को बेनामी संपत्ति अभिनिर्धारित न करने और कुर्की के आदेश को प्रतिसंहृत करने वाला ; या

(ii) सभी अन्य मामलों में, संपत्ति को बेनामी संपत्ति अभिनिर्धारित करने और कुर्की के आदेश की पुष्टि करने वाला,

आदेश पारित करेगा ।

(4) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उन संपत्तियों का, जिनकी बाबत उसे निर्देश किया गया है, कुछ भाग बेनामी संपत्ति है, किंतु वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे भाग की पहचान करने में समर्थ नहीं है, वहां वह अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार इस बारे में निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि कौन सी संपत्तियों या उसके भाग को बेनामी अभिनिर्धारित किया गया है ।

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रारंभक अधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट की गई संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति बेनामी संपत्ति है, वहां वह ऐसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और ऐसी संपत्ति को धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश की प्राप्ति की तारीख को, उसे निर्दिष्ट की गई संपत्ति समझा जाएगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, अनुचित रूप से जोड़े गए किसी पक्षकार के नाम को काट सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ सकेगा, जिसकी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति, निर्देश में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का न्यायनिर्णयन और निपटारा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए, आवश्यक है ।

(7) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस मास के, जिसमें धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, अंत से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा ।

[1][परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का 1 जुलाई, 2021 से प्रारंभ होकर 29 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर अवसान हो जाता है, वहां ऐसा आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का विस्तार 30 सितंबर, 2021 तक किया जाएगा ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाही रोक दी जाती हैं, छोड़ दी जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आदेश पारित करने के लिए निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।]

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 157 द्वारा (तारीख 1-7-2021 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 175 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) अंत:स्थापित ।

(8) बेनामीदार या कोई अन्य व्यक्ति, जो संपत्ति का स्वामी होने का दावा करता है या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए अपनी पसंद के प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकेगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित रूप में प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) बेनामीदार या किसी रीति में ऐसे अन्य व्यक्ति से संबंधित है या, यथास्थिति, बेनामीदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से नियोजित कोई व्यक्ति है ; या

(ii) किसी ऐसे अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी है, जिसमें बेनामीदार या ऐसे अन्य व्यक्ति का खाता है या वह अन्य नियमित व्यवहार करता है ; या

(iii) कोई ऐसा विधि व्यवसायी है, जो भारत में के किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है ; या

(iv) कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बोर्ड द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त कोई लेखा कर्म परीक्षा उत्तीर्ण की है ; या

(v) कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने ऐसी शैक्षिक अर्हता अर्जित की है, जो बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विहित करे ।

27. बेनामी संपत्ति का अधिहरण और निहित किया जाना—(1) जहां ऐसी संपत्ति के संबंध में, ऐसी संपत्ति को बेनामी संपत्ति अभिनिर्धारित करने संबंधी कोई आदेश धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन पारित किया जाता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, बेनामी अभिनिर्धारित की जाने वाली संपत्ति का अधिहरण करने का आदेश करेगा :

परंतु जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है, वहां संपत्ति का अधिहरण अपील अधिकरण द्वारा धारा 46 के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए किया जाएगा :

परंतु यह और कि संपत्ति का अधिहरण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किए जाने के पूर्व, किसी ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होगी, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल के लिए बेनामीदार से, उसे बेनामी संव्यवहार की जानकारी न होते हुए धारित या अर्जित किया गया है ।

(3) जहां अधिहरण का कोई आदेश उपधारा (1) के अधीन किया गया है, वहां ऐसी संपत्ति में के सभी अधिकार और हक सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे और ऐसे अधिहरण के संबंध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों को निष्फल करने की दृष्टि से ऐसी संपत्ति में सृजित कोई पर-व्यक्ति अधिकार अकृत और शून्य होगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के अंतिम होने पर अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जाता है, वहां सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा ।

28. अधिहृत संपत्तियों का प्रबंध—(1) प्रशासक को ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने की शक्ति होगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, प्रशासक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को, अधिसूचित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे ।

(3) प्रशासक, ऐसी संपत्ति का व्ययन करने के लिए, जो धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे उपाय भी करेगा, जैसे केन्द्रीय सरकार निदेश दे ।

29. संपत्ति का कब्जा—(1) जहां धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति के संबंध में अधिहरण का आदेश किया गया है, वहां प्रशासक ऐसी संपत्ति का कब्जा लेने की कार्यवाही करेगा ।

(2) प्रशासक,—

(क) लिखित सूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में बेनामी संपत्ति हो, सूचना की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर, उस संपत्ति का कब्जा उसे या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश देगा ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में या यदि उसकी राय में तुरन्त कब्जा लेने की आवश्यकता है, तो वह बलपूर्वक कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए उसकी सहायता करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा करेगा और ऐसे अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करे ।

अध्याय 5

अपील अधिकरण

30. अपील अधिकरण की स्थापना—केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन [1][कोई प्राधिकारी] के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी ।

31. अपील अधिकरण की संरचना, आदि—(1) अपील अधिकरण अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्यों से, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा एक प्रशासनिक सदस्य होगा, मिलकर बनेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अपील अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) अध्यक्ष द्वारा दो सदस्यों की, जैसा अध्यक्ष ठीक समझे, एक न्यायपीठ का गठन किया जा सकेगा ;

(ग) अपील अधिकरण की न्यायपीठें सामान्यतया राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर बैठकें करेंगी जिन्हें केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में अपील अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष किसी सदस्य का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगा ।

32. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का ऐसा आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, जिसने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ।

(2) कोई व्यक्ति किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—

(क) किसी न्यायिक सदस्य की दशा में, भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और वह उस सेवा में अपर सचिव का पद या उसके समतुल्य पद धारण कर चुका है ;

(ख) किसी प्रशासनिक सदस्य की दशा में, भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा है और वह उस सेवा में आय-कर मुख्य आयुक्त का पद या उसके समतुल्य पद धारण कर चुका है ।

(3) किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(4) ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण किए हुए है, उस अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य बने रहने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण का, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा ।

33. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें—(1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं और उनमें उनके कार्यकाल के दौरान उनके लिए अलाभकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद में हुई कोई रिक्ति उस तारीख से, जिसको ऐसी रिक्ति होती है, तीन मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

34. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि—अपील अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

35. कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष और सदस्य का हटाया जाना—(1) केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य सदस्य को,—

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 176 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) प्रतिस्थापित ।

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है,

पद से हटा सकेगी ।

(2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को उसके पद से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की गई ऐसी किसी जांच के पश्चात्, जिसमें अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दिया गया हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को, जिसके संबंध में जांच किए जाने का निर्देश उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को किया गया है, तब तक निलंबित कर सकेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा, निर्देश पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है ।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया को ऐसी रीति से विनियमित कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

(5) प्रशासनिक सदस्य को उसके पद से, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार के आदेश से हटाया जा सकेगा :

परन्तु प्रशासनिक सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

36. अपील अधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना—अपील अधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) अधिकरण के गठन में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) अधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) अधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

37. त्यागपत्र और हटाया जाना—अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जब तक कि उसे केंद्रीय सरकार द्वारा उससे पहले पद त्याग करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास का अवसान होने तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी पदावधि के अवसान होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

38. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना—(1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पदग्रहण करता है ।

(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों के पालन को पुनः आरंभ करता है ।

39. अपील अधिकरण के कर्मचारिवृंद—(1) केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह ठीक समझे ।

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण में रहते हुए अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

40. अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां—(1) अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्तियां होंगी ।

(2) अपील अधिकरण की, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना ;

(छ) किसी अभ्यावेदन को त्रुटि के कारण खारिज करना या उसका एकपक्षीय विनिश्चय करना ;

(ज) किसी अभ्यावेदन को व्यतिक्रम के आधार पर खारिज किए जाने के किसी आदेश या उसके द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना ; और

(झ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश, अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को अधिकारिता प्राप्त किसी सिविल न्यायालय को पारेषित कर सकेगा और सिविल न्यायालय उस आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उसी न्यायालय द्वारा की गई कोई डिक्री हो ।

(5) अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

41. अपील अधिकरण की न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण—जहां किन्हीं न्यायपीठों का गठन किया जाता है वहां अध्यक्ष, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, न्यायपीठों के बीच अपील अधिकरण के कार्य के वितरण के बारे में उपबंध कर सकेगा और ऐसे विषयों का भी उपबंध कर सकेगा जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ।

42. मामलों को अंतरित करने की अपील अधिकरण के अध्यक्ष की शक्ति—अपील अधिकरण का अध्यक्ष, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, और पक्षकारों को सूचना देने पर और उनकी सुनवाई करने के पश्चात्, या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटाए जाने के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

43. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना—यदि दो सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों में किसी प्रश्न पर मतभेद है तो वे उस प्रश्न या उन प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और उसे अपील अधिकरण के अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेंगे, जो या तो उस प्रश्न या उन प्रश्नों की स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे प्रश्न या प्रश्नों की सुनवाई के लिए मामला अपील अधिकरण के अन्य सदस्यों में से किसी एक या अधिक सदस्यों को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय अपील अधिकरण के उन सदस्यों के, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

44. सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना—अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उसके सदस्य और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अनुमोदनकर्ता अधिकारी, प्रारंभक अधिकारी, प्रशासक और उन सबके अधीनस्थ अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

45. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन—किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपील अधिकरण सशक्त है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य मंच द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

46. अपील अधिकरण को अपीलें—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत प्रारंभक अधिकारी भी है, धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध, ऐसे

प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, अपील अधिकरण को उस आदेश की तारीख से [1][जिसको ऐसा आदेश प्रारंभक अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है] पैंतालीस दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगा ।

[2][(1क) धारा 54क के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश के विरुद्ध, [3][जिसको ऐसा आदेश प्रारंभक अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है] पैतालीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाएं, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।]

(2) अपील अधिकरण, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था ।

(3) उपधारा (1) [4][या उपधारा (1क)] के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) अपील अधिकरण को अपील का विनिश्चय करते समय, निम्नलिखित के संबंध में शक्ति होगी—

(क) किसी मामले का, जहां अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है, अंतिम रूप से अवधारण करने ;

(ख) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने कोई ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया है, जिसे ग्रहण किया जाना चाहिए था, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लेने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने की अपेक्षा करने ;

(ग) अपने समक्ष कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने या किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने की अपेक्षा करने ;

(घ) ऐसे विवाद्यक विरचित करने, जो मामले के न्यायनिर्णयन के लिए अपील अधिकरण को आवश्यक प्रतीत होते हों और उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अवधारण के लिए निर्दिष्ट करने ;

(ङ) अंतिम आदेश पारित करने और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी न्यायनिर्णयन आदेश की अभिपुष्टि करने, उसमें परिवर्तन करने या उसे उलटने और ऐसा आदेश पारित करने, जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो ।

(5) अपील अधिकरण, यथासंभव, उस मास की, जिसमें अपील की जाती है, अंतिम तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई और उसका अंतिम रूप से विनिश्चय कर सकेगा ।

47. गलतियों का सुधार—[5][(1) अपील अधिकरण या कोई प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटियों का सुधान करने के लिए उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश पारित किया गया था, एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधन कर सकेगा ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा संशोधन, यदि ऐसे संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे ऐसा करने के आशय की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

48. प्रतिनिधित्व का अधिकार—(1) [6][कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक अधिकारी भी हैं, जो उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्रवाईयों का पक्षकार है], अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्षकथन पेश करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने विकल्प के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अपने अधिकारियों में से एक या अधिक को उपस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील की बाबत पक्षकथन पेश कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत प्रतिनिधि से—

(i) प्रारंभिक अधिकारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) कार्रवाईयों के किसी अन्य पक्षकार के सम्बन्ध में, से पक्षकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(i) [6][पक्षकार] से किसी रीति में संबद्ध व्यक्ति है या [6][पक्षकार] द्वारा नियमित रूप से नियोजित कोई व्यक्ति है ; या

(ii) किसी ऐसे अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी है जिसमें [6][पक्षकार] का कोई खाता है या उसके कोई अन्य नियमित लेनदेन हैं ; या

---

[1] 2023 के अधिनियम सं० 8 की धारा 171 द्वारा (तारीख 1-4-2023 से) "उस आदेश की तारीख से" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 177 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2023 के अधिनियम सं० 8 की धारा 171 द्वारा (तारीख 1-4-2023 से) "उस आदेश तारीख से" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 177 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 178 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) प्रतिस्थापित ।

[6] 9 अक्तूबर, 2018, देखिए अधिसूचना संख्यांक का०आ० 5194(अ), तारीख 09-10-2018, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii).

(iii) ऐसा कोई विधि व्यवसायी है, जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है ;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने बोर्ड द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त कोई लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है ;

(v) ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित कर ली हैं, जो बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विहित करे ।

49. उच्च न्यायालय को अपील—(1) अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना दिए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा ।

(2) उच्च न्यायालय साठ दिन की उक्त अवधि के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है, वहां वह उस प्रश्न को विरचित करेगा ।

(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार विरचित किए गए प्रश्न के संबंध में ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को, अपील की सुनवाई पर, यह तर्क देने की अनुज्ञा दी जाएगी कि इस मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है ।

(5) इस उपधारा की कोई बात, न्यायालय की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न के संबंध में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की सुनवाई किए जाने की शक्ति को छीनने वाली या न्यून करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(6) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर निर्णय, उन आधारों को उल्लिखित करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, देगा तथा ऐसा कोई खर्च अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(7) उच्च न्यायालय किसी ऐसे विवाद्यक का अवधारण कर सकेगा,—

(क) जिसका अपील अधिकरण द्वारा अवधारण नहीं किया गया है ; या

(ख) जिसका अपील अधिकरण द्वारा उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर किसी विनिश्चय के कारण गलत अवधारण किया गया है ।

(8) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, उच्च न्यायालय को अपीलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध यथाशक्य इस धारा के अधीन अपीलों की दशा में लागू होंगे ।

अध्याय 6

विशेष न्यायालय

50. विशेष न्यायालय—(1) केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक सेशन न्यायालयों को, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का विचारण भी करेगा, जिसके संबंध में अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए ।

(3) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान,—

(i) प्राधिकारी द्वारा ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के, उस सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा,

लिखित में किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और परिवाद फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर विचारण समाप्त करने का हर प्रयास किया जाएगा ।

51. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होना—(1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध किसी विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन करने वाले व्यक्तियों को लोक अभियोजक समझा जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक लोक अभियोजक के लिए उसने किसी न्यायालय में कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय न किया हो और विशेष लोक अभियोजक के लिए उसने कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय न किया हो ।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष अभियोजक के रूप में नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे ।

52. अपील और पुनरीक्षण— उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 29 या अध्याय 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का इस रूप में प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय हो ।

अध्याय 7

अपराध और अभियोजन

53. बेनामी संव्यवहार के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के उपबंधों को विफल करने या कानूनी शोध्यों का संदाय करने से बचने या लेनदारों का संदाय करने से बचने के लिए ऐसा कोई बेनामी संव्यवहार करेगा, वहां हिताधिकारी स्वामी, बेनामीदार और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति को ऐसा बेनामी संव्यवहार करने के लिए दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा, बेनामी संव्यवहार के अपराध का दोषी होगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट बेनामी संव्यवहार के अपराध का दोषी पाया जाता है, वह ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

54. मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति—ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन सूचना देने की अपेक्षा है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी को जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा या कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी, जो संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के दस प्रतिशत तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

[1][**54क. सूचना की अनुपालना या इत्तिला देने में असफलता**—(1) कोई व्यक्ति, जो—

(i) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जारी समनों की अनुपालना करने में; या

(ii) धारा 21 के अधीन यथापेक्षित इत्तिला देने में,

असफल हाता है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम या असफलता के लिए पच्चीस हजार रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति, उस प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी, जिसने समन जारी किया था या इत्तिला की मांग की थी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश, प्राधिकारी द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति, को, जिस पर शास्ति अधिरोपित की जानी है, मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो;

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसे समन की अनुपालना न करने या इत्तिला न दिए जाने के उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे ।

54ख. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत—किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या दस्तावेजों की प्रविष्टियां, यथास्थिति, धारा 3 या इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएगी और ऐसी सभी प्रविष्टियों को या तो,—

(i) प्राधिकारी की अभिरक्षा में ऐसी प्रविष्टियों वाले अभिलेखों और दस्तावेजों को पेश करके; या

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 179 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) अंत:स्थापित ।

(ii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख या दस्तावेज हैं, और यह कथन करते हुए कि यह मूल प्रविष्टियों की सत्य प्रति है और यह कि ऐसी मूल प्रविष्टियों उसकी अभिरक्षा में के अभिलेख या दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रति पेश करके,

साबित की जा सकेगी ।]

55. पूर्व मंजूरी—धारा 3, धारा 53 या धारा 54 के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन [1][सक्षम प्राधिकारी] की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (16), खंड (21), खंड (21), खंड (34ख), खंड (34ग), में क्रमश: परिभाषित कोई आयुक्त, निदेशक, प्रधान आय-कर आयुक्त या कोई प्रधान आय-कर निदेशक अभिप्रेत है ।]

[3][**55क. अभियोजन में उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति**—(1) प्रारंभक अधिकारी, हिताधिकारी स्वामी से भिन्न, धारा 53 में यथानिर्दिष्ट बेनामीदार या किसी अन्य व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, धारा 55 में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, उक्त धारा के अधीन किसी अपराध के लिए बेनामीदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को अभियोजन से उन्मुक्ति इस शर्त पर दे सकेगा कि वह बेनामी संव्यवहार से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करे ।

(2) बेनामीदार या ऐस अन्य व्यक्ति को दी गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति, उसे उस सीमा तक, जिस विस्तार तक उन्मुक्ति प्रदान की गई है, किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन से, जिसकी बाबत उन्मुक्ति प्रदान की जाती है और धारा 53 के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्त रखेगी ।

(3) यदि प्रारंभक अधिकारी को यह प्रतीत होता हे कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई है, ने ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, जिन के अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या वह जानबूझकर कोई बात छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो प्रारंभक अधिकारी इस प्रभाव के निष्कर्ष को अभिलिखित कर सकेगा और धारा 55 में यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से प्रदान की गई उन्मुक्ति को वापस ले सकेगा ।

(4) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिससे प्रदान की गई उन्मुक्ति को उपधारा (3) के अनुसार वापस लिया गया है, उस उपधारा की बाबत विचारण किया जा सकेगा, जिसके संबंध में उनमुक्ति निविदान किया गया था या ऐसे किसी अपराध हेतु, जिसे उसी संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा और वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी शस्ति के लिए भी दायी होगा, जिसके लिए वह अन्यथा दायी हुआ होता ।]

[4][अध्याय 8

प्रकीर्ण

56. कुछ अधिनियमों के उपबंधों का निरसन—(1) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 81, धारा 82 और धारा 94, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 66 और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 281क निरसित की जाती है ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) की कोई बात आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 281क के जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त रहने पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

57. कतिपय अंतरणों का अकृत और शून्य होना— संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी, जहां, धारा 24 के अधीन किसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, उक्त सूचना में निर्दिष्ट किसी संपत्ति को किसी भी प्रकार के ढंग से अंतरित किया जाता है, वहां इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति का तत्पश्चात् धारा 27 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिहरण किया जाता है, तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

58. छूट—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्त या धार्मिक न्यासों से संबंधित किसी संपत्ति को छूट दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

59. केन्द्रीय सरकार की निदेश, आदि जारी करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगी या किसी व्यक्ति से सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के उचित प्रशासन के

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 180 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 180 द्वारा (तारीख 1-9-2019 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2023 के अधिनियम सं० 8 की धारा 171 द्वारा (तारीख 1-4-2023 से) "धारा 55क" अंत:स्थापित ।

[4] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 10 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) अंत:स्थापित ।

लिए उचित समझे, और ऐसे प्राधिकारी तथा इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित सभी अन्य व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निदेश या आदेश जारी करने में, निम्नलिखित किसी एक या अधिक मानदंडों को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

(क) प्रादेशिक क्षेत्र ;

(ख) व्यक्तियों के वर्ग ;

(ग) मामलों के वर्ग ; और

(घ) कोई अन्य मानदंड, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन ऐसे कोई आदेश, अनुदेश या निदेश जारी नहीं किए जाएंगे, जिससे कि—

(क) किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति में विनिश्चय करने के लिए किसी प्राधिकारी से अपेक्षा की जा सके ;

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में उसके विवेकाधिकार में हस्तक्षेप किया जा सके ।

60. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना— इस अधिनियम के उपबंध, इसमें इसके पश्चात् अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

61. अपराधों का असंज्ञेय होना— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध असंज्ञेय होगा ।

62. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, दिए गए किसी निदेश या आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे उल्लंघन के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, दिए गए किसी निदेश या आदेश का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रंबधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) कोई फर्म ; और

(ii) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; और

(ख) "निदेशक" से,—

(i) किसी फर्म के संबंध में फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ;

(ii) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में, उसके कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

63. सूचना, आदि का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य न होना—इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में दी या की गई या जारी की गई या देने या करने या जारी करने के लिए तात्पर्यित सूचना, समन, आदेश, दस्तावेज या अन्य कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी या ऐसी सूचना, समन, आदेश, दस्तावेज या अन्य कार्यवाही को मात्र किसी गलती, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी सूचना, समन, आदेश, दस्तावेज या अन्य कार्यवाही सारतः और वस्तुतः इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप है या उसके अनुसार है ।

64. सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही सरकार अथवा सरकार या इस अधिनियम के अधीन स्थापित अपील अधिकरण या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

65. लंबित मामलों का अंतरण—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न) या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित बेनामी संव्यवहार की बाबत प्रत्येक वाद या कार्यवाही उस विषय में अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, अपील अधिकरण या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी ।

(2) जहां कोई वाद या अन्य कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपील अधिकरण को अंतरित हो गई है वहां,—

(क) न्यायालय, अधिकरण या अन्य मंच ऐसे अंतरण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों का अभिलेख, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपील अधिकरण को प्रेषित करेगा ;

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, ऐसे अभिलेखों के प्राप्त होने पर ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों के संबंध में उसी प्रक्रम से, जहां वह ऐसे अंतरण से पहले थीं या किसी पूर्व प्रक्रम से या नए सिरे से, जो अपील अधिकरण ठीक समझे, उसी रीति में कार्यवाही करेगा जैसे धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रतिनिर्देश के मामले में की जाती है ।

66. विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाहियां, आदि— (1) जहां किसी व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाती है वहां मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पहले की गई किसी कार्यवाही को उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की गई कार्यवाही समझा जाएगा और उसे उस प्रक्रम से विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखा जाएगा जिसको वह मृतक की मृत्यु की तारीख को थी ।

(2) ऐसी कोई कार्यवाही, जो यदि मृतक जीवित रहता तो उसके विरुद्ध की जा सकती थी, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकेगी और तदनुसार, इस अधिनियम के सभी उपबंध, धारा 3 की उपधारा (2) और अध्याय 7 के उपबंधों के सिवाय, लागू होंगे ।

(3) जहां किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन बेनामी अभिनिर्धारित की गई है, वहां ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह, उस व्यक्ति के स्थान पर, अपील अधिकरण को अपील करे और धारा 46 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे या लागू बने रहेंगे ।

67. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना— इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे ।

68. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (16) के अधीन उचित बाजार मूल्य को अभिनिश्चित करने की रीति ;

[1]* * * * * * *

[1]* * * * * * *

(घ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारियों की शक्तियां और कृत्य ;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन प्राधिकारियों की अन्य शक्तियां ;

(च) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;

(छ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति ;

(ज) धारा 27 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन बेनामी संपत्ति के अधिहरण की प्रक्रिया ;

(झ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने की रीति और शर्तें ;

(ञ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित संपत्ति के व्ययन की रीति और शर्तें ;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ठ) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की प्रक्रिया विहित करने की रीति ;

(ड) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ढ) धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन अपील अधिकरण की कोई शक्ति ;

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 158 द्वारा (तारीख 1-7-2021 से) लोप किया गया ।

(ण) वह प्ररूप, जिसमें धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाइल की जाएगी और अपील फाइल किए जाने की रीति ;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना होगा ।

69. नियमों और अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी * किंतु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

70. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

71. संक्रमणकालीन उपबंध—केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि जब तक इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों की नियुक्ति या अपील अधिकरण की स्थापना नहीं कर दी जाती तब तक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और उस अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण इस अधिनियम के [1][ऐसी अवधि के लिए और उन मामलों या मामलों के वर्ग के संबंध में जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए] अधीन क्रमशः न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपील अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

[2][72.] **निरसन और व्यावृत्ति**—(1) बेनामी संव्यवहार (संपत्ति प्रत्युद्धरण अधिकार प्रतिषेध) अध्यादेश, 1988 (1988 का अध्यादेश 2) निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

———

[1] 31 अक्तूबर, 2018, देखिए अधिसूचना संख्यांक का०आ० 5602(अ), तारीख 31-10-2018, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii).

[2] 2016 के अधिनियम सं० 43 की धारा 11 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) पुनःसंख्याकित ।